केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,त्रिवेणी नगर,जयपुर

निविदा आमंत्रण

| | | |
|---|---|---|
| कार्य का नाम | आवासीय शिविर हेतु कैटरिंग(भोजन,जलपान व्यवस्था) कार्य | संलग्न विवरण के अनुसार |
| आवासीय शिविर | दिनांक 20.5.2024 से 19.06.2024 तक का कैटरिंग कार्य | |
| अनुमानित बजट | 6,00,000/– | |
| अंतिम तिथि एवं दिनांक | 15.05.2024 5.00 बजे तक | |
| निविदा खोलने की दिनांक एवं समय–उपस्थित सदस्यों के समक्ष | 16.05.2023 11.30 बजे | |

निदेशक

# केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

## नियम एवं शर्ते

1. छात्रों हेतु आवासीय शिविर का आयोजन जो कि दिनांक 20 मई–24 से 19 जून–2024 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है के लिए खान पान सेवायें (सुबह का नाश्ता ,चाय, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन,दूध) आवश्यक है । (इस शिविर में भाग लेने के लिए एक दिन पूर्व दिनांक 19 मई–24 को छात्र बाहर से आ जायेंगें तथा एक दिन बाद तक अर्थात दिनांक 20.06.2023 को प्रस्थान करेंगें ) । अतः व्यवस्था एक दिन पूर्व से प्रारम्भ करनी होगी ।
2. शिविर के लिए लगभग 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की संभावना है ।
3. ब्याना राशि 12000/–रूपये अनुमानित राशि का लगभग 2 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफट जो कि 'केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर' के नाम से हो, जमा करवाया जाना आवश्यक है । डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है । असफल निविदादाता द्वारा जमा करवाये गये ड्राफ्ट लौटा दिये जायेंगें ।

   ए–फर्म /व्यक्ति के पास फूड लाईसेन्स का प्रमाण पत्र
   बी–फर्म/व्यक्ति का जी एस टी रजिस्ट्रेशन नम्बर
   सी–फर्म/व्यक्ति का पैन नम्बर

4. फर्म के पास पिछले तीन वर्षो में टर्नओवर 5 लाख रूपये का होना चाहिए। इसके लिए पिछले तीन वर्षो की आडिट अकाउन्ट /इनकम टैक्स रिर्टन संलग्न करनी होगी।
5. सफल निविदा दाता को 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि (स्वीकृत दर का पॉच प्रतिशत) निविदा खुलने एवं आदेश जारी होने के तीन दिवस में डिमाण्ड ड्राफट जो कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के नाम से हो, जमा करवाया जाना आवश्यक है
6. फर्म द्वारा मिठाई बनाने के लिए ब्रांडेड देसी घी (सरस/अमूल) तथा ब्रांडेड वनस्पति मूँगफली तेल का उपयोग किया जाना होगा ।
7. आगन्तुकों को भोजन खिलाने के लिए परिसर द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा ।
8. भोजन के लिए उपयोग की जाने वाली प्लेट मैलामाईन अथवा उससे उच्च क्वालिटी की प्लेट में खाना खिलाना होगा । तथा साथ में अच्छी गुणवत्ता वाले पेपर नेपकीन होना आवश्यक है । भोजन परोसने /खाने के लिए अच्छी क्वालिटी की स्टील चम्मच , कटोरी आदि उपलब्ध करवानी होगी फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गई प्लेट ,चम्मच की क्वालिटी उचित स्तर की नहीं होने पर स्वीकृत दर का 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कटौती की जायेगी ।
9. खाने वाले स्थान पर पर्याप्त मात्रा में मिनल वाटर एवं डिसपोजल गिलास एवं कैम्पर मय डिसपेंसर उपलब्ध करवाने होंगे ।
10. फर्म के पास कम से कम तीन से पॉच वर्षो के खान पान सेवायें संचालित करने का अनुंभव भी होना आवश्यक है । न्यूनतम 500 से 1000 लोगों के लिए दीक्षांत समारोह /सरकारी समारोह (विवाह समारोह नहीं) में भोजन की व्यवस्था आदि का प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
11. यदि फर्म को किसी संस्था द्वारा उनके कार्य के लिए (खाने एवं सेवाओं की गुणवत्ता के लिए के लिए ) सम्मानित किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
12. फर्म द्वारा भोजन तैयार करने एवं परोसने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा ।

13. भोजन को पूरा करने, परोसने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेटर ,सहायक, पर्यवेक्षक का होना आवश्यक है ।

14. बूफे सेट पर्याप्त संख्या में होने चाहिए तथा निर्धारित स्थान पर झूठी प्लेटों को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाल्टी का होना आवश्यक है ।

15. फर्म द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन तैयार किया जाना आवश्यक है ।

16. भोजन को प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित न्यूनतम संख्या में भोजन थाली निर्धारित स्थान पर रखा जाना आवश्यक है ।

17. आग लगने तथा कच्चे माल /तैयार माल सामग्री की चोरी के संबंध में सभी सुरक्षा उपाय करने होंगें

18. जी एस टी /टीडी एस या कोई अन्य कटौती नियमानुसार की जायेगी ।

19. फर्म का किचन/कार्यालय जयपुर में स्थित होना चाहिए । समिति के सदस्य सुविधाओं का दौरा कर सकते हैं, और उपलब्ध सुविधओं से संतुष्ट होना चाहिए । यदि समिति के सदस्य उपलब्ध किचन/कार्यालय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो समिति के सदस्यों को निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

20. भोजन सामग्री के परोसने के दौरान अनावश्यक देरी होने पर जुर्माना खंड जी एफ आर के अनुसार लागू होता है जो कार्य आदेशों के 10 प्रतिशत तक होगा

21. बिन्दु संख्या 3 एवं 4 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज के बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग अलग लिफाफों में प्रस्तुत करें ।

22. नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन टोकन प्रस्तुत करने पर ही खिलाना होगा तथा नाश्ता एवं भोजन आदि टोकन की गणना के अनुसार भुगतान किया जायेगा ।

23. दिनांक 20.06.2023 को पैकिंग हेतु पैकेट की संख्या पूर्व में सूचित कर दी जायेगी । यह कम या अधिक हो सकती है। जिसकी सूचना एक दिन पूर्व में दे दी जायेगी

24. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गई प्लेट ,चम्मच की क्वालिटी उचित स्तर की नहीं होने पर स्वीकृत दर का 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कटौती की जायेगी ।

25. भोजन की गुणवत्ता उचित नहीं पाये जाने पर स्वीकृत दर का 30 प्रतिशत कटौती की जायेगी ।

26. किसी भी विवाद की स्थिति में परिसर द्वारा निर्धारित समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

हस्ताक्षर

निविदादाता मय फर्म सील

नाम.............................................

पता.............................................

मोबाईल नम्बर..................................

# वित्तीय निविदा

## आवासीय शिविर दिनांक 19.5.2023 से 20.06.2023 हेतु नाश्ता, एवं भोजन हेतु दरें ।

| क.सं. | विवरण | दर |
|---|---|---|
| 01 | नाश्ता एवं चाय ( इडली–वडा–सांभर,/ ब्रेड पकोडा/परांठा–दही–अचार/पोहा– प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता देना होगा | |
| 02 | दोपहर भोजन–(दाल,चावल,सीजनल सब्जी,रोटी,सलाद,अचार पापड, रायता, प्रति दिन अलग–अलग प्रकार की दाल –सब्जी देनी होगी । | |
| 03 | रात्रि भोजन––(दाल,चावल,सीजनल सब्जी,रोटी,सलाद,अचार, पापड, प्रति दिन अलग–अलग प्रकार की दाल, सब्जी देनी होगी । | |
| 04 | चाय एवं बिस्कुट,प्रति व्यक्ति–सांय 3.30 बजे | |
| 05 | रात्रि 9.00 बजे दूध –250 एम एल | |
| 06 | भोजन के पैकिट, –8 पूडी,सब्जी,आचार,एक मिठाई (आवश्यकता होने पर सूचित किया जायेगा ) | |
| | कुल योग | |
| | | |
| | कुल योग (कम संख्या 1 से 6) | |

हस्ताक्षर

फर्म का नाम एवं पता मय सील ..................................
..........

मोबाईल नम्बर .............................................